

व्यवहारवाद कमांक 33A/2017

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0  
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-33ए/2017

संस्थित दिनांक- 30.08.2016

Filing no- 235103002312016

01	पर्वता पुत्र मुतिया जाति रावत आयु 60 साल
02	भग्गू पुत्र अंजना जाति रावत आयु 55 साल
03	पूरन पुत्र भन्ता जाति रावत आयु 56 साल
04	रुकमनिया पत्नी मजरा जाति रावत आयु 50 साल
05	लच्छू पुत्र रतना जाति रावत आयु 55 साल
06	खुमनिया पत्नी भंवरा जाति रावत आयु 60 साल सभी का पेशा खेती, मजदूरी सभी निवासीगण- ग्राम पगरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 .....वादीगण
बनाम	
01	मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय मण्डल अशोकनगर म0प्र0
02	श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व विभाग तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
03	कार्यपालन यंत्री महोदय लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर म0प्र0
04	श्रीमान सहायक यंत्री महोदय लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग दतिया म0प्र0
..... प्रतिवादीगण	

वादीगण द्वारा  
प्रतिवादीगण द्वारा

:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधि0।  
:- श्री अरविन्द चौबे अधि0।

-----:: / / निर्णय / / ::-----  
{आज दिनांक:- 03.01.2018 को घोषित किया गया}

**01—** यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम पगरा, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 102/2 रकबा 0.500 है0 वादी क्रमांक 1, सर्वे क्रमांक 85/4 रकबा 2.000 है0 वादी क्र0 2, सर्वे क्रमांक 101/1/17 रकबा 1.000 है0 वादी क्र0 3, सर्वे क्र0 100/1/1/21 रकबा 1.500 है0 वादी क्र0 4, सर्वे क्र0 100/1/1/10 रकबा 1.000 है0 वादी क्र0 5, सर्वे क्र0 100/1/1/21 रकबा 1.500 है0 वादी क्र0 6 (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) के स्वामित्व एवं आधिपत्य, घोषणात्मक आज्ञापक व्यादेश एवं क्षतिपूर्ति अन्तरधन लाभ प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

**02—** वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पगरा, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 102/2 रकबा 0.500 है0 वादी क्रमांक 1, सर्वे क्रमांक 85/4 रकबा 2.000 है0 वादी क्र0 2, सर्वे क्रमांक 101/1/17 रकबा 1.000 है0 वादी क्र0 3, सर्वे क्र0 100/1/1/21 रकबा 1.500 है0 वादी क्र0 4, सर्वे क्र0 100/1/1/10 रकबा 1.000 है0 वादी क्र0 5, सर्वे क्र0 100/1/1/21 रकबा 1.500 है0 वादी क्र0 6 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। उक्त भूमि से वादीगण अपने व अपने परिवार के भरण पोषण कर कृषि कार्य करके जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। वादीगण की उक्त भूमि में से बीच खेतों में शासन द्वारा प्रतिवादी क्र0 3 व 4 द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं जबरन वादीगण को न तो कोई सूचना दी और न तो वादीगण की कोई सुनवाई की और वादीगण के बिना अनुमति के बाला-बाला बीच खेतों में से सड़क निर्माण हेतु डाल दी गई जिससे वादीगण की भूमि बरबाद हो गई।

**03—** वादीगण को न तो विवादग्रस्त भूमि में मुआवजा क्षतिपूर्ति अन्तरधन लाभ प्राप्त हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण व अन्य संबंधित कर्मचारियों को लेखिये आवेदन दिये कि वादीगण को या तो मुआवजा दिया जाये या बदले में अन्य भूमियां दी जाये, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। वादीगण ने म0प्र0 शासन को धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र भी दिया किन्तु प्रतिवादी क्र0 1 की ओर से आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है और न ही सूचना पत्र का जबाब दिया गया। वाद कारण प्रतिवादीगण के द्वारा जबरन वादग्रस्त भूमि पर सड़क का निर्माण वर्ष 2014 में कराने व क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का भुगतान वादीगण को न करने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादीगण की ओर से यह दावा घोषणात्मक आदेश एवं क्षतिपूर्ति अन्तरधन लाभ मुआवजा प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है।

**04—** प्रतिवादी क्र0 1 व 2 की ओर से जबाब दावे में समस्त प्रतिकूल तथ्यों को अस्वीकार कर व्यक्त किया कि उक्त प्रकरण भू अर्जन भूमि एवं अन्तरलाभ धन मुआवजा से संबंधित होने के कारण भू अर्जन अधिनियम 1894 के तहत धारा 9 के अनुसार भू अर्जन अधिकारी के यहां कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई तथा भू अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार केवल रिफरेंस न्यायालय को वर्तमान प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा म0प्र0 शासन के समक्ष अन्य प्रतिवादीगणों ने किसी भी प्रकार की उक्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं भेजा है और उक्त भूअर्जन के संबंध में

उक्त भूमियों के बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस कारण प्रतिवादी क्र० 1 म०प्र० शासन की किसी भी क्षतिधन अन्तरलाभ व मुआबजा के लिये उत्तरदायी नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त किये जाने एवं 5000/- रुपये की स्पेशल कॉस्ट वादीगण को भुगतान कराये जाने की प्रार्थना की।

**05—** प्रतिवादी क्र० 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है अथवा नहीं, इसे वादीगण स्वयं सिद्ध करें। किन्तु उक्त भूमि से कोई विवाद नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि म०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत लोकहित की योजना के अन्तरगत पहाडपुर पगरा मार्ग पर पुल पर पहुँच मार्ग निर्माण कार्य माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार किया जाकर दिनांक 27.12.2013 को प्रारम्भ कर दिनांक 31.12.2015 को पूर्ण किया जाकर लोकहित में जनसाधानों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है तथा पुल के दोनों ओर पहुँच मार्ग पूर्व स्थित आम रास्ते पर किया गया है जिसके निर्माण के समय किसी प्रकार की आपत्ति अथवा स्वामित्व के संबंध में कोई अभिलेख प्रतिवादी क्र० 3 व 4 के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तब वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर जबरन निर्माण करने वाली बात मिथ्या एवं बनावटी है। वादीगण की ओर से भूमि के अर्जन एवं क्षतिपूर्ति हेतु कोई आवेदन प्रतिवादी क्र० 3 व 4 को प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निर्मित किये गये पहुँच मार्ग की भूमि निजी होने की पुष्टि संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई है। वादीगण को मुआबजा संबंधी कार्यवाही भूअर्जन अधिनियम 1984 के तहत धारा 9 के अनुसार भूअर्जन अधिकारी के यहां करनी चाहिये थी जो नहीं की गई। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

**06—** उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या ग्राम पगरा, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 102/2 रकबा 0.500 है० वादी क्रमांक 1, सर्वे क्रमांक 85/4 रकबा 2.000 है० वादी क्र० 2, सर्वे क्रमांक 101/1/17 रकबा 1.000 है० वादी क्र० 3, सर्वे क्र० 100/1/1/21 रकबा 1.500 है० वादी क्र० 4, सर्वे क्र० 100/1/1/10 रकबा 1.000 है० वादी क्र० 5, सर्वे क्र० 100/1/1/21 रकबा 1.500 है० वादी क्र० 6 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या प्रतिवादी क्र० 3 व 4 द्वारा उपरोक्त सर्वे क्रमांक की भूमि पर अवैध रूप से सड़क निर्माण करवाया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण उपरोक्त सर्वे क्रमांक की भूमि में से सड़क निर्माण हेतु अधिगृहित की गई भूमि के संबंध में अन्तरलाभ मुआबजा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
4.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 14 के अनुसार दावा निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

**वाद प्रश्न क्र० 1 व 2 :-**

**07—** वादप्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादप्रश्न क्र० 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण में निहित है। वादीगण का अभिवचन है कि ग्राम पगरा, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 102/2 रकबा 0.500 है० वादी क्रमांक 1, सर्वे क्रमांक 85/4 रकबा 2.000 है० वादी क्र० 2, सर्वे क्रमांक 101/1/17 रकबा 1.000 है० वादी क्र० 3, सर्वे क्र० 100/1/1/21 रकबा 1.500 है० वादी क्र० 4, सर्वे क्र० 100/1/1/10 रकबा 1.000 है० वादी क्र० 5, सर्वे क्र० 100/1/1/21 रकबा 1.500 है० वादी क्र० 6 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्र.पी. 1 लगायत 11 के खसरा पांचशाला की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2062-66 की प्रस्तुत की है तथा सूचना पत्र धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत प्र.पी. 12 प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है अथवा नहीं इसे वादी स्वयं सिद्ध करें। यद्यपि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी राकेश शुक्ला प्र.सा.1 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि वह ग्राम पगरा का पटवारी है और वादीगण राजस्व परिपत्रों में वादग्रस्त भूमि के स्वामी है। यद्यपि ग्राम पगरा के पटवारी राकेश शुक्ला द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमियों का स्वामी होना लेख किया है किन्तु वादीगण वादग्रस्त भूमियों के स्वामी है। इस संबंध में वादीगण की ओर से खसरा सम्वत् 2062-66 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1 लगायत 11 तक प्रस्तुत की है। **मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजों को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है।

**08— विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म०प्र० लॉ जनरल पेज 25** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थात्ता का उपधारणात्मक मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। भले ही प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए है किन्तु सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है।

**09—** इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। वादीगण का यह भी अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादीगण द्वारा बिना उनकी जानकारी में सड़क का निर्माण शासन द्वारा कराया गया है जिससे वे वादग्रस्त भूमियों पर फसल नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी पर्वता वा०सा०1 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि जो सड़क बनी है वह पहले पगडण्डी कच्ची सड़क थी

जिससे धूल उड़ती थी और बेलगाड़ी जाती थी उसी रोड को सरकार ने पक्का कर दिया है। उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 व 8 में यह बताने में भी असमर्थ रहा है कि उक्त पक्की रोड जिस सर्वे नम्बर की भूमि से निकली है उसका सर्वे नम्बर क्या है।

**10—** खुमनिया वा0सा02 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि ग्राम पगरा से ग्राम पहाडपुर तक जो शासकीय रोड डाली गई है वह उसके खेत से गुजरती है तथा उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वर्तमान में उसके खेत की जिस जगह से शासकीय रोड निकली है उस जगह से पहले से ही लोगों के आने जाने का कच्चा रास्ता था, किन्तु उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में ही आगे यह बताती है कि पहले आमजन ग्राम पगरा से पहाडपुर उसके खेत की मेड से होकर निकलते थे उसी को पक्का रोड बना दिया है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वर्तमान रोड उसके खेत से होकर निकली है इसके अलावा गौव के लच्छू, पर्वता, पूरन, भग्गु के खेत से निकली है। राकेश शुक्ला प्र0सा01 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया है कि पर्वता भग्गू, पूरन, रूकमणीबाई, लच्छू, खुमनियाबाई के खेतों से रोड बनाई गई है।

**11—** इस प्रकार उभयपक्ष की साक्ष्य से यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों से होकर पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है। किन्तु स्वयं वादीगण की ओर से उनके मौखिक साक्ष्य में बताया कि जिस स्थान पर पहले से आमजन के आने जाने के लिये कच्ची सड़क या मेड बनी हुई थी उसी स्थान पर पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है जिससे वादीगण की साक्ष्य से ही यह स्पष्ट है कि पूर्व में निर्मित कच्ची सड़क को ही पक्की सड़क के रूप में तबदील किया गया है। इसके अलावा भी वादीगण की ओर से ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वादग्रस्त भूमि के कितने भाग से और किस दिशा की ओर सड़क का निर्माण करवाया गया है। वादीगण की ओर से उक्त साक्षीगण के अलावा साक्षी भग्गु, देवसिंह एवं श्यामा के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये, किन्तु उक्त साक्षीगण को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया गया, जिससे उक्त शपथ पत्रों से वादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य के संबंध में प्र.पी.1 लगायत 11 के खसरा पांचशाला सम्वत् 2062-66 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है तथा वादग्रस्त भूमियों पर वर्तमान में वादीगण के आधिपत्य होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो कि वर्तमान में भी वादीगण वादग्रस्त भूमियों पर काबिज है।

**12—** वादीगण का यह भी अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्र0 3 व 4 द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करवाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सड़क का निर्माण करवाया गया है। वादीगण की ओर से उनके मौखिक साक्ष्य में बताया कि जिस स्थान पर पहले से आमजन के आने

जाने के लिये कच्ची सड़क या मेड बनी हुई थी उसी स्थान पर पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है। जहां कि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करने में असफल रहा है एवं कच्ची सड़क को ही पक्की सड़क किये जाने के संबंध में कथन स्वयं वादीगण के है, वहां यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर जो सड़क का निर्माण करवाया गया है वह अवैध है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

### **वाद प्रश्न क्र० 3 :-**

**13—** वादीगण का अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि में से सड़क निर्माण हेतु जो भूमि अधिग्रहित की गई है उक्त भूमि के संबंध में अन्तर लाभ मुआवजा दिलवाया जावे। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से उनके अभिवचनो में व्यक्त किया है कि वर्तमान प्रकरण भू अर्जन एवं अन्तरलाभ धन मुआवजा से संबंधित होने के कारण भूअर्जन अधिनियम 1984 के तहत धारा 9 के अनुसार भूअर्जन अधिकारी के यहां कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई थी। वर्तमान प्रकरण में सर्वप्रथम तो यह विचारणीय है कि क्या वादग्रस्त भूमि को सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है, इस संबंध में वादीगण की ओर से कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह दर्शित हो कि वादग्रस्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है। जहां कि वादग्रस्त भूमि के भूअर्जन के संबंध में कोई कार्यवाही ही नहीं की गई है वहां पर भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिये प्रतिवादीगण का यह तर्क कि न्यायालय को वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है। किसी भी भूमि के मुआवजा प्राप्ति के संबंध में सहायता तभी प्रदान की जा सकती है जबकि पक्षकार प्रथमतः यह प्रमाणित करने में सफल रहे कि वह उक्त भूमि का स्वामी है। वादीगण वर्तमान वादग्रस्त भूमि के संबंध में यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे वादग्रस्त भूमियों के स्वामी हैं। इसके अलावा तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जावे कि वादीगण वादग्रस्त भूमियों के स्वामी हैं तब भी वादीगण की ओर से उनके अभिवचनो या साक्ष्य में यह नहीं बताया कि वादग्रस्त भूमि का कितना क्षेत्रफल सड़क निर्माण में चला गया है और उक्त भूमि से वादीगण को कितना नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में वादीगण स्वामित्व प्रमाणित करने में असफल होने के कारण कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः वादप्रश्न क्र० 3 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

### **वाद प्रश्न क्र० 4:-**

#### **सहायता एवं व्यय**

**14—** उपरोक्तानुसार विवादको पर किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरांत अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अधिसंभाव्य रूप से अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।

- 15— प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 16— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।  
तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित घोषित कर किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

व्यवहारवाद कमांक 33A/2017